"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 445] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2017—— आश्विन 17, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

अधिसूचना
सं. 36/2017 - राज्य कर

क्रमांक एफ-10-77/2017/वाक/पांच (133). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2017 है.

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 24 के उपनियम (4) में, अंक और शब्द "30 सितम्बर", के स्थान पर अंक और शब्द "31 अक्टूबर" रखा जाएगा;

(ii) नियम 118 में, शब्द "नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि", के स्थान पर शब्द और अंक "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या आगे और ऐसी अवधि जो आयुक्त द्वारा बढ़ाया जाए," रखे जायेंगे;

(iii) नियम 119 में, शब्द "नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर", शब्द और अंक "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या आगे और ऐसी अवधि जो आयुक्त द्वारा बढ़ाया जाए," रखे जायेंगे;

(iv) नियम 120 में, शब्द "नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर", शब्द और अंक "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या आगे और ऐसी अवधि जो आयुक्त द्वारा बढ़ाया जाए," रखे जायेंगे;

(v) नियम 120क में, पार्श्व शीर्षक "प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में पुनरीक्षित घोषणा", जोड़ा जाए;

(vi) प्ररूप जीएसटी आईज़ी-29 में,

(क) शीर्षक, "अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन", के स्थान पर शीर्षक "प्रवजनित करदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन" रखा जाए;

(ख) भाग अ के मद (i) के सामने उपशीर्षक में, शब्द "अनंतिम आई डी", के स्थान पर शब्द "जीएसटीआईएन" रखा जाए.

3. यह अधिसूचना दिनांक 29-09-2017 से प्रभावशील मानी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-77/2017/वाक/पांच (133). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-77/2017/वाक/पांच (133), दिनांक 4-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 4th October 2017

NOTIFICATION
No. 36/2017 - State Tax

No. F-10-77/2017/CT/V (133). — In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

1. (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2017.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017,-

(i) in rule 24, in sub-rule (4), for the figures, letters and word, "30th September", the figures, letters and word "31st October" shall be substituted;

(ii) in rule 118, for the words "a period of ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted;

(iii) in rule 119, for the words "ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted;

(iv) in rule 120, for the words "ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted;

(v) in rule 120A, the marginal heading "Revision of declaration in Form GST TRAN-1" shall be inserted;

(vi) in Form GST REG-29,-

(a) for the heading, "Application For Cancelation of Provisional Registration", the heading, "Application for Cancelation of Registration of Migrated Taxpayers" shall be substituted;

(b) under sub-heading Part-A, against item (i), for the word and letters "Provisional ID", the letters "GSTIN" shall be substituted.

3. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 29-09-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.